

**न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना**

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 68/2022

दायर दिनांक 18.02.2022

**वादीगण**

1. जालूराम पुत्र भागुराम उम्र 61 वर्ष
2. मंगलाराम पुत्र लालाराम उम्र 42 वर्ष समस्त जाति मेघवाल
3. शंकरलाल पुत्र भंवराराम उम्र 42 वर्ष जाति नायक समस्त निवासीगण ललासरी, तहसील डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम्

**प्रतिवादीगण**

1. ओमप्रकाश पुत्र सुण्डाराम
2. कानाराम पुत्र सुण्डाराम
3. नेमीचन्द पुत्र कालूराम
4. भैरुराम पुत्र सुण्डाराम
5. मोहनी पत्नि रामचन्द्र
6. श्यामलाल पुत्र रामचन्द्र समस्त जाति नायक
7. पूजा पत्नि दुर्गाराम जाति हरिजन
8. मातावक्श पुत्र जोधाराम
9. ललिता देवी पत्नि अरविन्द कुमार जातिगण मेघवाल निवासीगण ललासरी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
10. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा ललासरी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
11. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

उपस्थित:-

1. श्री हरफुल राव वकील वादीगण।

--:: निर्णय ::--

दिनांक 23.08.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 12 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 380 रकबा 7.9600 हैक्टे0 वाकै सरहद ललासरी की भूमि में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 28.07.2022 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 1721 दिनांक 23.08.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1721 दिनांक 23.08.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।




**सहायक कलेक्टर**  
डीडवाना (नागौर)

—:: आदेश ::—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 01 ता 12 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं० 380 रकबा 7.9600 हैक्टे० वाकै सरहद ललासरी की भूमि मे इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1721 दिनांक 23.08.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1721 दिनांक 23.08.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
R.A.S.

सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नीगौर)

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को सरे इजलास सुनाया

गया।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
R.A.S.

सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नीगौर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 68/2022

दायर दिनांक 18.02.2022

वादीगण

प्रतिवादीगण

1. जालूराम पुत्र भागुराम उम्र 61 वर्ष
2. मंगलाराम पुत्र लालाराम उम्र 42 वर्ष समस्त जाति मेघवाल
3. शंकरलाल पुत्र भंवराराम उम्र 42 वर्ष जाति नायक समस्त निवासीगण ललासरी, तहसील डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र सुण्डाराम
2. कानाराम पुत्र सुण्डाराम
3. नेमीचन्द पुत्र कालूराम
4. भैरुराम पुत्र सुण्डाराम
5. मोहनी पत्नि रामचन्द्र
6. श्यामलाल पुत्र रामचन्द्र समस्त जाति नायक
7. पूजा पत्नि दुर्गाराम जाति हरिजन
8. मातावक्श पुत्र जोधाराम
9. ललिता देवी पत्नि अरविन्द कुमार जातिगण मेघवाल निवासीगण ललासरी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
10. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा ललासरी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
11. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

दिनांक 23.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिव मुददई श्री हरफुल राव वकील वादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 12 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 380 रकबा 7.9600 हैक्टे0 वाकै सरहद ललासरी की भूमि मे इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1721 दिनांक 23.08.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारानु को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1721 दिनांक 23.08.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.08.2022 को सरे इजलास जारी की गयी।

सहायक कलक्टर

सहायकी डिक्री कलक्टर

डीडवाना (नागौर)

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर

सहायकी डिक्री कलक्टर

डीडवाना (नागौर)

